



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 09.09.2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल व 02

चाकू नाजायज बरामद

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.09.2021 को नसबन्दी तिराहा के पास लोनी से अभियुक्त गण 1. अशफाक पुत्र जब्बार निवासी चौक शिव मन्दिर के पास थाना ब्रहमपुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष 2. जावेद पुत्र अब्दुल हसन निवासी जयपाल चौक शहीद नगर साबिर चादर वाले के मकान में किराए पर थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 28 वर्ष को चोरी की मो0सा0 पैसन प्रो0 रंग काला बिना नम्बर प्लेट चेसिस नं0 MBLHA 10BJFHC75877 (ई चालान एप पर चैसिस नं0 उपरोक्त डालने पर रजि0 नं0 UP14CN1270 इंजन नं0 HA10ETFHC05635) व 02 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

● गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता एवं आपराधिक इतिहास -

1.अशफाक पुत्र जब्बार निवासी चौक शिव मन्दिर के पास थाना ब्रहमपुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0 1290/21 धारा 414 भादवि, थाना लोनी गा0बाद
2. मु0अ0सं0 1291/21 व 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी,गा0बाद
3. मु0अ0सं0 437/21 धारा 324,341,34 भादवि थाना दयालपुर दिल्ली

2.जावेद पुत्र अब्दुल हसन निवासी जयपाल चौक शहीद नगर साबिर चादर वाले के मकान में किराए पर थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 28 वर्ष

1. मु0अ0सं0 1290/21 धारा 414 भादवि, थाना लोनी गा0बाद
2. मु0अ0सं0 1292/21 व 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी, गा0बाद
3. मु0अ0सं0 437/21 धारा 324,341,34 भादवि थाना दयालपुर दिल्ली

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1. मो0सा0 पैसन प्रो0 रंग काला बिना नम्बर प्लेट चेसिस नं0 MBLHA 10BJFHC75877 (ई चालान एप पर चैसिस नं0 उपरोक्त डालने पर रजि0 नं0 UP14CN1270 इंजन नं0 HA10ETFHC05635 है।)
2. एक अदद चाकू नाजायज (अभियुक्त अशफाक से बरामद)
3. एक अदद चाकू नाजायज (अभियुक्त जावेद से बरामद)

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो नाजायज गांजा बरामद

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त मोनू उर्फ साजिद पुत्र रहीमुद्दीन निवासी गली नं0 8 मौहल्ला पठानकोट थाना बड़ौत जिला बागपत हाल निवासी शमीम पुत्र यामीन के मकान में किरायेदार प्रशान्त विहार थाना लोनी गाजियाबाद को 02 किलो गांजा नाजायज के साथ प्रकाश विहार चौकी क्षेत्र रूपनगर से दिनांक 08.09.2021 को समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास -

मोनू उर्फ साजिद पुत्र रहीमुद्दीन निवासी गली नं0 8 मौहल्ला पठानकोट थाना बड़ौत जिला बागपत हाल निवासी शमीम पुत्र यामीन के मकान में किरायेदार प्रशान्त विहार थाना लोनी गाजियाबाद

मु0अ0सं0 1280/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी:-

02 किलो गांजा नाजायज बरामद

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा बलात्कार के एक वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधी/माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा ठोस एवं सार्थक प्रयास करते हुए बलात्कार के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

दिनांक 7.9.21 को मुखबिर की सूचना पर समय 11.50 बजे थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 468/2021 धारा 363/366/376/ भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट का वांछित अभि0 गोविन्द्र पुत्र गिरिवर निवासी सोनिया विहार के मन्दिर के पास थाना टीला मोड़ गा0बाद को कोयल एन्कलेव के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

(1) गोविन्द्र पुत्र गिरिवर निवासी सोनिया विहार के मन्दिर के पास थाना टीला मोड़ गा0बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0स0 468/2021 धारा 363/366/376/ भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना टीला मोड़ बनाम गोविन्द उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0श्री जसवन्त सिंह , थाना टीला मोड़ गा0बाद

2- का0 2429 उस्मान अली थाना टीला मोड़ गा0बाद ।



अपने पति को फँसाने के लिए 307 भादवि का झूठा मुकदमा लिखाने वाली अभियुक्ता समेत 03 अभियुक्तगण थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त स्कुटी व अवैध असलाह बरामद ।

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दि0-09/09/2021 को मुकदमा अपराध संख्या 2052/21 धारा 307 भा0द0वी0 मे वांछित अभियुक्त गण विजय बैसला आदि को गिरफ्तार किया गया है ।

घटना के सम्बन्ध में दिनांक 07.9.21 को प्रात काल 07 बजे एक महिला को अज्ञात व्यक्ति द्वारा साहिबाबाद मन्डी के सामने गोली मारकर घायल कर दिया गया जिसे अटलान्टा हास्पिटल वसुन्धरा मे भर्ती कराया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0 2052/21 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

साजिश का विवरण-

थाना इन्दिरापुरम पर दिनांक 07/09/21 को मुकदमा वादिया बेबी चौधरी पत्नी राजीव चौधरी निवासी 13/10 त्यागी मार्केट घूकना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा मु0अ0स0 2052/21 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया गया था जिसकी गहनता से विवेचना व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण विजय बैसला आदि को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तगण ने घटना के सम्बन्ध में पूछने पर विजय बैसला ने बताया कि विजय व बेबी चौधरी के पिछले एक सवा साल से अच्छे सम्बन्ध हैं बेबी चौधरी के नाम घूकना में एक मकान जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये व साहिबाबाद मंडी में एक दुकान जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रु है जिसके रजिस्ट्री के प्रपत्र व कागज भी विजय बैसला के पास हैं। जिस विवाद के चलते बेबी चौधरी के पुत्र उत्तम चौधरी ने बेबी चौधरी, विशाल गुर्जर व विजय बैसला के खिलाफ थाना नन्दग्राम में मु0अ0स0 19/21 धारा 307, 506, 34 आईपीसी पंजीकृत कराया था जिसमें अभियुक्तगण ने अपनी अग्रिम जमानत करा ली थी। किन्तु फिर भी बेबी का पति राजीव व उसका बेटा उत्तम चौधरी चैन नहीं ले रहे थे। फिर हमने मिलकर राजीव चौधरी व उसके बेटे को फसाने के लिए यह झुठा षडयन्त्र रचा जिसमें दिनांक 7.9.21 को बेबी चौधरी को मोहननगर से एक आटो में बैठाकर जिसको मन्डी के सामने उतरना था, तथा सुनील नागर को यह सब बताकर की यह जब आटो से उतरने के बाद गोली लगकर घायल होगी तो सुनील नागर को तुरन्त अटलान्टा हॉस्पिटल में बेबी चौधरी को भर्ती कराना है। इसके लिये विजय बैसला ने एक शूटर कपिल को 50000 रु में तय किया था जिसको विजय 20,000 रु एडवांस में दे चुका है। आज दिनांक 09/09/2021 को चूकी घटना उपरोक्त की मुकदमा वादिया बेबी चौधरी ही अभियुक्ता भी हैं। व अन्य प्रकाश में आये अभियुक्त विजय बैसला व सुनील नागर को घटना में प्रयुक्त स्कूटी, एक तमंचा 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर, घायल बेबी चौधरी को अस्पताल में सुनील नागर द्वारा भर्ती कराते समय पहनी हुई खून में सनी पैन्ट के साथ अटलान्टा हॉस्पिटल के पास मिग्सन सोसाइटी के बराबर से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 1 तमंचा 32 बोर व 2 जिन्दा कारतूस// 32 बोर
- 2- घटना में प्रयुक्त स्कूटी रजि0 न0 UP14ED0575
- 3- घटना के समय सुनील ने पहनी रक्त से सनी हुई पैन्ट बरामद हुई

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :

विजय बैसला पुत्र जयसिंह बैसला निवासी 349 सर्वोदय नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद

बेबी चौधरी पत्नी राजीव चौधरी निवासी 13/10 त्यागी मार्केट घूकना नन्दग्राम गाजियाबाद

सुनील कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह नागर निवासी ए 239 सै09 विजयनगर गाजियाबाद





जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा कविनगर मे हुई चोरी की कई घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए अंतर्राज्जीय गैंग के 03 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे चोरी किये कीमती आभूषण व घटना मे प्रयुक्त एक स्कार्पियो व जगुआर कार बरामद

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा घरो मे चोरी करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीमो द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण (1) विक्रम शाह पुत्र रामब्रिज शाह निवासी वार्ड नं0 13 गाढा थाना पुपरी जिला सीतामणी बिहार (2) मौ0 शोएब पुत्र मौ0 गुलाम मुर्तजा निवासी वार्ड नं0 08 राजबा पुपरी बाजार नगर पंचायत जनकपुर रोड थाना पुपरी जिला सीतामणी बिहार व (3) गुलशन प्रवीन पत्नी इरफान निवासी योगिया गाढा थाना पुपरी जिला सीतामणी बिहार को दिनांक 07.09.21 को सीतामणी बिहार से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गये आभूषण व घटना मे प्रयुक्त एक स्कार्पियो कार नं0 BR07PC3610 रंग काला व एक गाडी जगुआर नं0 DL2CQ 7364 रंग काला बरामद बरामद हुई जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर रात के अंधेरे मे बडी बडी कोठियो मे चोरी की घटनाओ को अंजाम देते है अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ मे कविनगर क्षेत्र मे पूर्व मे हुई चोरियो का इकबाल किया गया । अभियुक्तो द्वारा अन्य राज्यो मे भी चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया गया जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण –

- (1) विक्रम शाह पुत्र रामब्रिज शाह निवासी वार्ड नं0 13 गाढा थाना पुपरी जिला सीतामणी बिहार
- (2) मौ0 शोएब पुत्र मौ0 गुलाम मुर्तजा निवासी वार्ड नं0 08 राजबा पुपरी बाजार नगर पंचायत जनकपुर रोड थाना पुपरी जिला सीतामणी बिहार
- (3) गुलशन परवीन पत्नी इरफान निवासी योगिया गाढा थाना पुपरी जिला सीतामणी बिहार

नाम पता फरार अभियुक्त गण –

- (1) मौ0 इरफान उर्फ उजाले पुत्र मौ0 अखतर निवासी योगिया गाढा थाना पुपरी जिला सीतामणी बिहार
- (2) इमरान पुत्र अकिउररहमान निवासी एकता नगर थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ हाल पता खुशबु एन्कलेव थाना बारादरी जिला बरेली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विक्रम शाह:-

- 1-मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2-मु0अ0सं0 1003/19 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 3-मु0अ0सं0 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 4-मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मौ० शोएब-

- 1-मु०अ०सं० 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2-मु०अ०सं० 1003/19 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 3-मु०अ०सं० 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 4-मु०अ०सं० 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलशन परवीन-

- 1-मु०अ०सं० 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2-मु०अ०सं० 1003/19 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 3-मु०अ०सं० 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 4-मु०अ०सं० 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास फरार अभियुक्त मौ० इरफान उर्फ उजाले-

- 1-मु०अ०सं० 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद **उ०प्र० ।**
- 2-मु०अ०सं० 1003/19 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद **उ०प्र० ।**
- 3-मु०अ०सं० 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद **उ०प्र० ।**
- 4-मु०अ०सं० 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद **उ०प्र० ।**
- 5-मु०अ०सं० 293/14 धारा 457/380/411 भादवि थाना रकाबगंज आगरा **उ०प्र० ।**
- 6-मु०अ०सं० निल/14 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना रकाबगंज आगरा **उ०प्र०।**
- 7-मु०अ०सं० 203/14 धारा 457/380/411 भादवि थाना मटोला जिला आगरा **उ०प्र०।**
- 8-मु०अ०सं० 216/14 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि जिला रकाबगंज आगरा **उ०प्र०।**
- 9-मु०अ०सं० 569/17 धारा 120बी/363/366 भादवि थाना एत्माददौला जिला आगरा **उ०प्र०।**
- 10- मु०अ०सं० 64/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर जिला आगरा **उ०प्र० ।**
- 11-मु०अ०सं० 409/16 धारा 457/380 भादवि थाना न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी **दिल्ली ।**
- 12-मु०अ०सं० 150/17 धारा 457/380/34 भादवि थाना न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी **दिल्ली ।**
- 13-मु०अ०सं० 151/17 धारा 457/380/411/34 भादवि थाना न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी **दिल्ली ।**
- 14-मु०अ०सं० 12/17 धारा 457/380 भादवि थाना न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी **दिल्ली ।**
- 15-मु०अ०सं० 244/17 धारा 357/380 भादवि थाना लाजपत नगर **दिल्ली ।**
- 16-मु०अ०सं० 140/17 धारा 357/380 भादवि थाना लाजपत नगर **दिल्ली ।**
- 17-मु०अ०सं० 224/17 धारा 457/380 भादवि थाना लाजपत नगर **दिल्ली ।**
- 18-मु०अ०सं० 41/21 धारा 379/411/34 भादवि थाना नजफगढ **दिल्ली ।**
- 19-मु०अ०सं० 124/20 धारा 457/380 भादवि थाना डिवीजन नं० 4 **जालंधर सिटी पंजाब ।**
- 20-मु०अ०सं० 210/20 धारा 457/380 भादवि थाना रामामण्डी **जालंधर सिटी पंजाब ।**
- 21-मु०अ०सं० 3/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 411 भादवि थाना डीविजन 3 **जालंधर सिटी पंजाब ।**
- 22-मु०अ०सं० 69/21 धारा 457/380 भादवि थाना टोनापावला **गोवा ।**
- 23-मु०अ०सं० 277/13 धारा 224 भादवि थाना पुपरी जिला सीतामण्डी **बिहार ।**

आपराधिक इतिहास फरार अभियुक्त इमरान-

1-मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

2-मु0अ0सं0 1003/19 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

3-मु0अ0सं0 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

4-मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

5-मु0अ0सं0 1326/18 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ ।

6-मु0अ0सं0 241/17 धारा 21/22 NDPS ACT थाना सिविललाईन्स जिला अलीगढ ।

7-मु0अ0सं0 737/16 धारा 379/511 भादवि थाना सिविललाईन्स जिला अलीगढ ।

8-मु0अ0सं0 574/17 धारा 379/511 भादवि थाना जामियानगर दिल्ली ।

9-मु0अ0सं0 593/17 धारा 379/411 भादवि थाना जामियानगर दिल्ली ।

10-मु0अ0सं0 594/17 धारा 379/411 भादवि थाना जामियानगर दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

01 पीली धातु की चैन सफेद नग लगे हुए (चोरी के)

02 पीली धातु के कडे सफेद नग लगे हुए (चोरी के)

01 सफेद धातु की अंगुठी सफेद नग लगी हुई (चोरी की)

घटना मे प्रयुक्त एक स्कार्पियो कार नं0 BR07PC3610 रंग काला बरामद ।

घटना मे प्रयुक्त एक गाडी जगुआर नं0 DL2CQ 7364 रंग काला बरामद ।



प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2021 थाना मोदीनगर

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

एक अदद पिस्टल 0.32 बोर मय 03 खोका व 01 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार महोदय के आदेशानुसार ईनामिया / वाँछितो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 ईरज रजा महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार

सिंह महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद की टीम पर चैकिंग के दौरान, एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना जिसका पीछा करने पर ग्राम बखरवा शाहजहाँपुर रोड़ पर मठभेड़ में घायल होने पर बखरवा मोड़ से 01 नफर अभि० कपिल उर्फ गांधी पुत्र लोकेश नि० मकान न० 614 बेगमाबाद थाना मोदीनगर दिनांक 09.09.2021 को 00.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर (1) अ०स०- 862/21 धारा 307 भादवि व (2) अ०स०- 863/21 धारा 3/25 A. Act बनाम् कपिल उर्फ गांधी उपरोक्त थाना मोदीनगर पर पंजीकृत किया गया। तथा अभियुक्त पूर्व के अ०स०- 855/21 धारा 302/120बी भादवि में शामिल था। आवश्यक वैधानिक कार्ययाही की जा रही है।

➤ **नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त गण**

- कपिल उर्फ गांधी पुत्र लोकेश नि० मकान न० 614 बेगमाबाद थाना मोदीनगर।

➤ **बरामदगी का विवरण**

- एक अदद पिस्टल 0.32 बोर मय 03 खोका व 01 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामदा
- मोटर साइकिल SPLENDOR रंग काला DL 13 SG 9931 बरामदा

➤ **पंजीकृत अभियोग का विवरण**

- मु०अ०स०- 855/21 धारा 302/120बी भादवि बनाम् कपिल उर्फ गांधी उपरोक्त थाना मोदीनगर गा०बादा
- मु०अ०स०- 862/21 धारा 307 भादवि बनाम् कपिल उर्फ गांधी उपरोक्त थाना मोदीनगर गा०बादा
- मु०अ०स०- 863/21 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम् कपिल उर्फ गांधी उपरोक्त थाना मोदीनगर गा०बादा।
- मु०अ०स०-557/19 धारा 147/148/149/323/324/354/392/452/506 भादवि बनाम् कपिल उर्फ गांधी उपरोक्त थाना मोदीनगर गा०बादा।
- मु०अ०स०- 764/18 धारा 307 भादवि बनाम् कपिल उर्फ गांधी उपरोक्त थाना मोदीनगर गा०बादा।



थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित 02 अभि०गण मय 50 पच्चे अवैध अग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का सहित किया गिरफ्तार

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा अभि० हिस्ट्रीशीटर 1.राहुल उर्फ रामा पुत्र हैमचन्द्र निवासी म०न०- 211 कुए वाली गली दोलतपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद 2. साहिल उर्फ श्यामा पुत्र हैमचन्द्र निवासी म०न०- 211 कुए वाली गली दोलतपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद को आबकारी टीम की सयुक्त चैकिंग से भाटिया मोड के पास से क्रमशः अभि० राहुल उर्फ रामा से 24 पच्चा व अभि० साहिल उर्फ श्यामा से 26 पच्चा कुल 50 पच्चे भरे हुये for sale in arunachal

Pradesh only बरामद हुए अभि०गण को उसके जुर्म धारा 60/63 Ex Act से अवगत कराते हुये दिनांक 09/09/21 को समय 11.59 वजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.राहुल उर्फ रामा पुत्र हैमचन्द्र निवासी म०न०- 211 कुए वाली गली दोलतपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद (हिस्ट्रीशीटर)
- 2.साहिल उर्फ श्यामा पुत्र हैमचन्द्र निवासी म०न०- 211 कुए वाली गली दोलतपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 1.मु०अ०स० 1133/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम राहुल उर्फ रामा थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
- 2.मु०अ०स० 1134/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम साहिल उर्फ श्यामा थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास बनाम राहुल उर्फ रामा -

1. . मु०अ०स० 893/19 धारा 392/411 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद
2. . मु०अ०स० 372/19 धारा 379/411 भादवि थाना मसूरी गा०बाद
3. मु०अ०स० 415/19 धारा 147/354/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली गा०बाद
4. मु०अ०स० 422/19 धारा 147/332/353/504/336 भादवि थाना कोतवाली गा०बाद
5. मु०अ०स० 433/19 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली गा०बाद
6. **HS N0-165 A** थाना कोतवाली गा०बाद

आपराधिक इतिहास बनाम साहिल उर्फ श्यामा –

- 1.मु०अ०स० 261/19 धारा 392/411 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद
2. मु०अ०स० 893/19 धारा 392/411 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद
3. मु०अ०स० 372/19 धारा 379/411 भादवि थाना मसूरी गा०बाद
4. मु०अ०स० 415/19 धारा 147/354/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली गा०बाद
5. मु०अ०स० 422/19 धारा 147/332/353/504/336 भादवि थाना कोतवाली गा०बाद
6. मु०अ०स० 433/19 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली गा०बाद

बरामदगी

- 1.अभि० राहुल उर्फ रामा से बरामद 24 पच्चा भरे हुये अरुणाचल प्रदेश मार्का क्रेजी रोमियो अवेध शराव
- 2.अभि० साहिल उर्फ श्यामा से बरामद 26 पच्चा भरे हुये अरुणाचल प्रदेश मार्का क्रेजी रोमियो अवेध शराव

